

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1412 का उत्तर

रेल उपरिपुल का कार्य पूरा करना

1412. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अलप्पुजा बाईपास रोड के हिस्से के रूप में कुतिरापंथी और मलिकामुक्कु में रेल उपरि पुल (आरओबी) का कार्य पूरा करने के लिए रेल-अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) तिरुअनंतपुरम मण्डल के अंतर्गत तुरावूर, चेरतला, चित्तुमूला, मलिकामुक्कु और वब्बाक्कवु रोड पर आरओबी की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) इन आरओबी पर कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेल उपरिपुल का कार्य पूरा करने के संबंध में 27.11.2019 को लोक सभा में एडवोकेट ए.एम. आरिफ के अतारांकित प्रश्न सं. 1412 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): अलापुज्जाह बाईपास जो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर पड़ता है, के भाग रूप में कुतिरापंथी और मलिकामुक्कु में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को निक्षेप शर्तों पर केरल राज्य सरकार के एनएच विंग द्वारा पूरा किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य किसी भी मौजूदा समपारों (एलसी) के स्थान पर नहीं किया जा रहा है। रेलवे का भाग रेलवे के पर्यवेक्षण के अंतर्गत होता है। कुतिरापंथी और मलिकामुक्कु में आरओबी को पूरा करने का कार्य केरल राज्य के एनएच विंग द्वारा पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग): लागत भागीदारी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एर्णाकुलम-अलापुज्जाह-कायनकुलम खंड पर थूरावूर में समपार सं. 23 के स्थान पर आरओबी, चेरथला में समपार सं. 33 के स्थान पर आरओबी और कायनकुलम-कोल्लम खंड पर वावाकावु में समपार सं. 48 के स्थान पर आरओबी के निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। बजट 2020-21 में इन कार्यों को शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

कायनकुलम-कोल्लम खंड पर समपार सं. 50 के स्थान पर चित्तुमुला में आरओबी को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस आरओबी के सामान्य आरेखण की रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

एर्णाकुलम-अलापुज्जाह-कायनकुलम खंड पर मरारीकुलम और अलापुज्जाह स्टेशन के बीच मलिकामुक्कु (एलसी सं. 55) पर समपार को लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल द्वारा इसको बदलने के लिए अर्हक नहीं है क्योंकि इस समपार पर यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन यूनिट (टीयूवी) से कम है।

सामान्यतः, रेलवे अपने क्षेत्र में आरओबी का निर्माण कार्य करता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, रेलवे क्षेत्र में आरओबी के निर्माण करने में कोई समस्या नहीं होती है। बहरहाल, पहुंच मार्ग पर

आरओबी का निर्माण करने में कठिनाई होती है क्योंकि यह बहुत से कारकों जैसेकि भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण को हटाना, पहुंच मार्ग पर संरेखण निर्धारित करना, अपेक्षित निधियों का आबंटन आदि पर निर्भर करता है। अतः, आरओबी परियोजनाओं के निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।
